ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, बेरीनाग
ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदरइन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेषन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)
पी0आई0यू0 कार्यालयः–नीयर अल्मोडा अरबन कोपरेटीव बैंक, चौकबाजार, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ–262531
ई–मेल –pmgsyberinag@gmail.com , CIN No -U45203UR2008SGC032591

पंत्राक :–175/ ब्रिडकुल / पी0एम0जी0एस0वाई0(बेरीनाग) –07 / 22 दिनांक :–22/12/ 2022

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः–जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत बनकोट से ब्रसखोली(धारीधुमलाकोट) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.856 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।(Online Proposal no. FP/UK/Road/38290/2017)

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक संख्या 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 75 / 2020 / एफ.सी. / 178 दिनांक 05 / 05 / 2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयाकिंत मोटर मार्ग के सन्दर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्रांक 845 / 12–1(2) अल्मोड़ा, 09.09.2022 तथा प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़ के पत्रांक 919 / 12–1 दिनांक, पिथौरागढ़ 29 अगस्त 2022 के द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या आपको पूर्व में प्रेषित कर दी गयी है। उक्त अनुपालन आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको पुनः प्रेषित की जा रही है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु समबन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करेगें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

इकाई प्रभारी
पी0आई0यू0–बेरीनाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।
2. उपमहाप्रबन्धक (सड़क / सेतु) (मु0),ब्रिडकुल, देहरादून।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

ईकाई प्रभारी

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/75/2020/एफ0 सी0/178 दिनांक: 05/05/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः-- जनपद -- पिथौरागढ़ बनकोट से बसखोली (धारीधूमलाकोट) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.856 हे0 व. भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/38290/2017)

सन्दर्भः- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -- 2449/FP/UK/ROAD/38290/2017 दिनांक 13-04-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.11.2020 द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सी.ए. स्कीम 331 पौधे प्रति हे0 की दर से प्रेषित की गयी है जोकि गाईडलाईन के अनुसार कम से कम 1000 पौधे प्रति हे0 रोपण हेतु तैयार की जानी चाहिए। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह पुनरीक्षित सी.ए. स्कीम गाईडलाईन पैरा 2.4 (vi) के अनुसार इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें साथ ही राज्य सरकार मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के प्रमाण पत्र को सम्बंधित वन संरक्षक द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित /प्रमाणित करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

तदोपरान्त ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय,

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--
1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ *(05962) 231099 Fax : 230397*

पत्रांक – 845 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 09/09/2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बनकोट से ब्रशखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.856 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/38290 /2017.

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 75 / 2020 / एफ0सी0 / 178 दिनांक 05.05.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 919 / 12–1 दिनांक 29.08.2022 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः– 919 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 29, अगस्त, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बनकोट से ब्रशखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.856 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। **(Online Proposal no. FP/UK/Road/38290/2017)**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/75/2020/एफ0सी0/178 दिनांक 05.05.2022 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 61/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 28.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्ननुसार प्रेषित है–

01	बिन्दु	निराकरण
1	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सी0ए0 स्कीम 331 पौध प्रति हेक्टेयर की दर से प्रेषित की गयी है, जो कि गाईडलाईन के अनुसार कम से कम 1000 पौध प्रति हे0 रोपण हेतु तैयार की जानी चाहिए। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह पुनरीक्षित सी0ए0 स्कीम गाईडलाईन पैरा 2.4(vi) के अनुसार इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।	1100 पौध प्रति हे0 की दर से संशोधित सी0ए0 स्कीम तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2	राज्य सरकार मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 2.4 (i) के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित किये जाने के प्रमाण पत्र को संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित/प्रमाणित करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– / दिनांकित।
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, ब्रिडकुल, बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

वृक्षारोपण का प्राक्कलन

परियोजना विवरणः— जनपद पिथौरागढ़ में बनकोट से ब्रशखोली (धारीधूमलकोट) तक मोटर मार्ग (4.856 हे0) का निर्माण।

परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षे0— 4.856 हे0

क्षतिपूरक वक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल— 9.712 हे0

वृक्षारोपण स्थल का नामः— ग्राम— ग्वासीकोट

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्याः— 1100

प्रथम चरण

क्रम सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे0	147	हे0	147
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान)	0.6	हे0	887	हे0	532.2
3	लेटाना / काला बांसा / गाजर घास					
अ	लेटाना काला बांसा / गाजर घास को जड से	0.4	हे0	6608.68	हे0	2643.472
ब	लेटाना काला बांसा / गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	हे0	2202.5	हे0	881
4	जल संरक्षण कार्य	1	हे0	11700	हे0	11700
5	कंटूर फर्रे खुदान (600 र0मी0 प्रति हे0)	600	र0मी0	11.14	प्रति हे0	6684
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 90घन मी0	90	घन मी0	478	प्रति घन	43020
7	गढ्ढे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100	हे0	11.14	हे0	12254
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे0	737	हे0	737
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1210	हे0	8.7	हे0	10527
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	1006	प्रति सीढ़ी	1006
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गडडे खोदना	1	हे0	470	हे0	470
	योग प्रथम चरण					90601.672

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गडडे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100	गड्डे	1.75	गड्डे	1925
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210	पौध	1.75	पौध	2117.5
3	पौध ढुलान कार्य	1210	पौध	9.7	पौध	11737
4	पौधारोपण व थालबन्दी	1100	गडड़े	3.13	गडड़े	3443
5	कंटूर फर्रे में बीज बुवाई	600	र मी0	1.05		630
6	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार) (@1.15X2)	1100	गडड़े	2.3	गडड़े	2530
7	खाद व दवा पर व्यय	1100	हे0	0.32	हे0	352
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	हे0	7235	हे0	7235
9	कंटूर फर्रे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000	र मी0	11.14	प्रति	11140

10	1– वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एव ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2– सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के वाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	3– वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले गामीणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
11	अन्य व्यय साईन वोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में 2--3 बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1	है0	700	है0	700
	योग द्वितीय चरण					42784.5

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कन्टूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	र0मी0	11.14	प्रति र0	11140
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	32	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	7377.6
	योग तृतीय चरण					30344.6

चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350

	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वाटर हार्वेस्टिंग टेंक निर्माण	4	संख्या	4500	प्रति	18000
	योग चतुर्थ चरण					29827

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	योग पंचम चरण					11827

षष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	5	संख्या	4500	प्रति	22500

4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	30	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	6916.5
	योग षष्टम चरण					41243.5

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्‌टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	वाटर हार्वेस्टिंग टेंक निर्माण	5	सख्या	4500	प्रति	22500
	योग सप्तम चरण					34327

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्‌टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	10374.75
	योग अष्टम चरण					22201.75

नवम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852

2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
3	खुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी0	230.55	प्रति घनमी0	10374.75
	योग नवम् चरण					**22201.75**

दशम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10852	है0	10852
2	2.1– वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास–फुस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350	है0	350
	2.2– सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	है0	225	है0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है0	400	है0	400
	योग दशम चरण					11827
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)				या	337185.772 337184.00

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 337184 रु0

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 9.712 है0

वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 9.712 है0 X 337184 = 32,74,731.00

या 32,74,731.00

(राजेन्द्र सिंह मेहरा)
उपराजिक

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ।

वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट

:: Certificate ::

Certified that 4.856 hectares of forest land is to be transfered to PMGSY, PIU Berinag (Bridcul), Uttarakhand for non-forestry works for construction of construction of extention of Bankot to Burushkholi (Dharidhumlakot) Motor Road (length 5.650 km) under PMGSY, PIU Berinag, at Block Gangolihat in Pithoragarh district. For the above work, under village Gwasikot, Patti Nainoli, Tehsil Ganaigangoli in Pithoragarh district, non-zamindari abolition Khatauni account number-65 category-09(3)ङ 9.712 hectares of barren Kabil Aawad farm no. 4824, is transferred to forest department for compensatory afforestation. As per govt. notification no. 869-F/638 dated 17.10.1893 and Uttar Pradesh govt. notification 1506/14-2-97-800 (II)/1997 dated, 17.03.1997, the land identified for compensatory afforestation has been declared protected forest. There is no need to redeclare the above land as protected forest.

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड.

Divisional Forest Officer
Pithoragarh